रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्र, 27 दिसम्बर, 1985/6 पौष, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 23 दिसम्बर, 1985

संख्या 1-73/85-वि0 स0.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र म माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1985

(बिल नं0 21 आफ 1985) जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1985 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

विश्वेश्वर वर्मा,
सचिव ।

1985 का विधेयक संख्यांक—21.

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1985

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 (1985 का 11) में और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 1985 है।

धारा 1 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 की धारा 1 की उप-धारा (3) के लिए निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी और सदैव प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र म अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1985 के पारित किए जाने पर, व्यापारियों से, लेखा प्रक्रिया के अत्यधिक भार से उन्हें मुक्त करने के लिए उक्त अधिनियम के उपबन्धों को सरल और कारगर बनाने की लोक मांग थी। इस विचार से अधिनियम के प्रवर्तन को कुछ समय के लिए आस्थगित रखना वांछित है ताकि यदि कोई रूपात्मकताएं विरचित की जाएं तो यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित संशोधन लाकर कठिनाई को दूर किया जाए।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

राज कृष्ण गौड़,
प्रभारी मंत्री।

शिमला:
23 दिसम्बर, 1985.

वित्तीय ज्ञापन

यह अनुमान लगाया जाता है कि मुख्य अधिनियम के प्रवर्तन को मुल्तवी रखने से चालू वित्तीय वर्ष में राजकोष को लगभग 40 लाख रुपये की हानि होगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[आबकारी और कराधान विभाग फाइल सं0 ई0 एक्स0-एन0-पी0(9) 1/82]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1985 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और विचार करने की सिफारिश करते हैं।

1	2	3	4	5
			सेर पति मेर 360 मे 466, 1068/467, 1069/467, 468 मे 486 मिन, 309/487, 407/487, 488 मे 511, 1076/512, 1071/512, 513 से 520, 1072/521, 1073/521, 1074/521, 522 मे 545 बीघा बिस्वा 1215 17 मेर पति कोटला मालम देह बसाल पति बेर की मेर 1701, 2268/1702, 2267/1703, 1703 मे 1719, 2270/1720, 2269/1720, 1721, 1722, 2271/1723, 2272/1723, 1724 मे 1754 2083/1755, 2084/1755, 1756 मे 1769, 2278/1770, 2273/1770, 1771 से 1797, 2101/1798, 2102/1798, 1799, 1800, 1801, 1090/1802, 1803 से 1806, 2275/1807, 2276/1807, 1808 से 1823, 2081/1824, 2081/1824, 2082/1824, 1824 बीघा बिस्वा 85—19	

अनुसूची—II

क्र0 सं0	पूर्ववर्ती ग्राम सभा का नाम	उपरोक्त अनुसूची-I में अपवर्जित किये गये गांव भाग के उपरान्त कोष्ट नं0 2 के वर्णित ग्राम सभा के शेष गांव के नाम	कोष्ट नं0 2 में वर्णित ग्राम सभा के स्थान पर नई ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्य वास	कोष्ट नं0 4 में वर्णित ग्राम सभा के गांव के नाम
1	2	3	4	5
1.	बसाल	बसाल गांव क्षेत्र	बसाल	कोष्ट नं0 3 में वर्णित गांव।

आदेश

शिमला-2, 26 नवम्बर, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4)-75/76-4.—यतः गांव का क्षेत्र अर्थात् गांव बसाल (ग्राम सभा क्षेत्र बसाल) आंशिक रूप में हिमाचल सरकार स्थानीय स्वशासन विभाग अधिसूचना संख्या 7-23-/71-एल0 एस0 जी0 दिनांक 2-9-1977 द्वारा नगरपालिका सोलन में सम्मिलित किया गया है।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Since the passing of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 1985, there was a public demand from the traders to stream-line the provisions of the aforesaid Act to relieve them from being burdened with cumbersome accounting procedure. On this consideration it has been felt necessary to keep the operation of the said Act in abeyance for sometime so that modalities, if any, could be worked out and hardship removed by bringing requisite amendment if necessary.

This Bill seeks to achieve the above objective.

RAJ KRISHAN GAUR,
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The 23rd December, 1985.

FINANCIAL MEMORANDUM

It is estimated that with the postponement of the operation of the principal Act, the State exchequer will sustain a loss approximately to the tune of Rs. 40.00 lakh during the current financial year.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. EXN-C(9)-1/82]

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Bill, 1985 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।